कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक 5 ५५ / आ0प्र0प्र0(2016–17) दिनांक 24-12-16

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

शासनादेश संख्या 1312 / 1–10–2016–12(34) / 03 टी0सी0–5 दिनांक 22.12.2016 के कम में जनपद की समस्त तहसीलों में कम्बल आपूर्ति हेतु शासनादेश में वर्णित संस्थाओं से तथा अलाव जलाने के लिये जलौनी लकडी की आपूर्ति हेतु पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 31.12..2016 के पूर्वान्ह 12.00 बजे तक निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

नियम एवं शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित होंगी, जिन्हे आपूर्तित संस्था को पूर्ण करना होगा। यह किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में एवं जनपद बरेली की वेवसाइट bareilly.nic.in पर देखो जा सकती हैं।

निविदा प्रपत्र दिनांक 31.12.2016 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) के कार्यालय से कम्बल सम्बन्धी निविदा प्रपत्र रू0 550 /-- एवं जलौनी लकडी सम्बन्धी निविदा प्रपत्र 200 /– रू0 नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

(मनोज कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
बरेली।

1– प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बरेली को जनपद की वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
3– प्रतिलिपि उप निदेशक सूचना को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निविदा जनपद के सर्वाधिक प्रसारित होने वाले अर्थात हिन्दुस्तान, अमर उजाला समाचार पत्रों में शासकीय दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4– प्रतिलिपि अपर नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बरेली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
6– प्रतिलिपि नाजिर सदर कलेक्ट्रंट बरेली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7– प्रतिलिपि नाजिर, विकास भवन बरेली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

24-12-16
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
बरेली।

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

कम्बल क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया के नियम एवं शर्ते

शासनादेश संख्या 1312/1-10-2016-12(34)/03 टी0सी0-5 दिनांक 22.12.2016 में दिये गये दिशा निर्देश व अन्य शर्ते निम्न प्रकार होगी, जिनका निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

1- सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 08/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12.08.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से ही कम्बल क्रय किये जायेंगे।

2- क्रय किये जाने वाले कम्बलों की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0, वजन कम से कम 2.200 कि0ग्राम तथा कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की दर रू0 500/- (500 पॉच सौ) से अधिक न हो। कम्बलों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

3- आपूर्तिकर्ता संस्था को प्रत्येक कम्बल पर इस आशय का टैग (सिलाईयुक्त) लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौडाई, वजन एवं ऊन की मात्रा का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नही है।

4- निविदा के साथ सैम्पल का कम्बल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। सैम्पल में प्रस्तुत किये गये कम्बल पर संस्था का नाम, उसका **वास्तविक वजन, लम्बाई, चौड़ाई, दर** उसमें उपलब्ध ऊन सम्बन्धी समस्त सूचना का टैग (सिलाईयुक्त) लगा होना चाहिए।

5- सामग्री क्रय नियमों के अनुसार 2 प्रतिशत जमानत धनराशि (अर्नेस्ट मनी) अर्थात रू0 60,000/- का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा फिक्सड डिपाजिट जो जिलाधिकारी बरेली के पक्ष में देय होगा, जमा किया जायेगा, जिस संस्थाओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत नही होगी, उन्हे जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा जिस संस्था की निविदा स्वीकृत हागी उसकी जमानत धनराशि क्रय कम्बलों का भुगतान तक कार्यालय में सुरक्षित रहेगी।

6- आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा क्रय आदेश प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर अपने व्यय पर कम्बल की आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।

7- निविदा-प्रपत्र दिनांक 31.12.2016 के पूर्वान्ह 12.00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय कक्ष में रखे टेन्डर बाक्स में डाले जायेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे गठित समिति के सदस्यों द्वारा निविदादाताओं के समक्ष कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में खोले जायेंगे। निविदादाता नियत तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

8- निविदादाताओं को बिना बताये टेण्डर प्रक्रिया को अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति का रहेगा।

9- समस्त विवादित मामलों का वाद क्षेत्र बरेली रहेगा।

10- निविदा के दो भाग होंगे। प्रथम तकनीकी भाव पत्र एवं दूसरा वित्तीय भावपत्र। तकनीकी भाव पत्र स्वीकृत होने पर ही वित्तीय भावपत्र खोला जायेगा। शेष निविदा जो तकनीकी रूप से उपयुक्त नही होगी उनके वित्तीय भावपत्र नही खोले जायेंगे तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

11- तकनीकी भाव पत्र तथा वित्तीय भाव पत्र **अलग-अलग लिफाफों** में मुहरबन्द कर लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दोनो लिफाफे एक बडे लिफाफे में मुहरबन्द करके लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना का उल्लेख किया जायेगा।

12- निविदादाता की कोई भी शर्ते स्वीकार नही होगी।

13- निविदा प्रपत्र पर किसी प्रकार कटिंग/सफेदा मान्य नही होगा। यदि कटिंग को पूर्ण हस्ताक्षर तथा मोहर सहित निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तभी मान्य होगा।

24.12.16

14– आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान की जाने वाली धनराशि से ही आय कर, व्यापार कर आदि शासकीय देयों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

15– आपूर्ति करने वाली संस्था को आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों का एक नमूना जिला मुख्यालय तथा एक–एक नमूना तहसील स्तर पर सुरक्षित रखने हेतु देना होगा, जिसे सील–बन्द रखा जायेगा।

16– निविदा खोले जाने के समय निविदादाता को स्वयं उपस्थित रहना होगा अन्यथा उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि को अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित अधिकार पत्र देकर जिसमें प्रतिनिधि का प्रमाणित फोटो व वैध आई0डी0 प्रूफ सहित भेजना होगा। अधिकार–पत्र पर निविदादाता के हस्ताक्षर निविदा–प्रपत्र के समान होने चाहिए।

17– दिनांक 28.02.2017 तक उक्त उद्देश्यों हेतु प्राप्त बजट का प्रयोग इसी (स्वीकृत) निविदा के आधार पर होगा।

0——————————————0

25-12-16

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

जलौनी लकड़ी कय करने हेतु निविदा प्रकिया के नियम एवं शर्ते

शासनादेश संख्या 1312/1–10–2016–12(34)/03 टी0सी0–5 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से प्राप्त आवंटन में से वर्ष 2016–17 में गरीबों, निराश्रितों, असहाय आदि को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु अलाव जलवाने के लिये जलौनी लकडी कय किये जाने हेतु में निम्नलिखित निर्देश व अन्य शर्ते होगी, जिनका निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

1– वाणिज्य कर कार्यालय में पंजीकृत संस्थायें ही निविदा प्रकिया में भाग लेंगी।

2– कय–आदेश प्राप्त करने के दो दिन के अन्दर जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों को जलौनी लकडी आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा अपने व्यय पर आपूर्ति करनी होगी।

3– निविदा के साथ सैम्पल की लकडी व उसकी किस्म आकार–प्रकार आदि का उल्लेख कर प्रस्तुत करना होगा। लकडी की आपूर्ति गुटके के रूप में करनी होगी जो पॉच–पॉच इन्च लम्बाई चौडाई से कम नही होगी। आपूर्तित लकडी आम, शीशम, बबूल, नीम, यूकेलिप्टस की होगी।

4– सामग्री कय नियमों के अनुसार 2 प्रतिशत जमानत धनराशि (अर्नेस्ट मनी) अर्थात रू0 5500/– राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा फिक्सड डिपाजिट जो जिलाधिकारी बरेली के पक्ष में देय होगा, जमा किया जायेगा। जिस संस्थाओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत नही होगी, उन्हे जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा जिस संस्था की निविदा स्वीकृत होगी उसकी जमानत धनराशि कय लकडी के भुगतान तक कार्यालय में सुरक्षित रहेगी।

5– निविदा–प्रपत्र दिनांक 31.12.2016 के पूर्वान्ह 12.00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय कक्ष में रखे टेन्डर बाक्स में डाले जायेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे गठित समिति के सदस्यों द्वारा निविदादाताओं के समक्ष कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में खोले जायेंगे। निविदादाता नियत तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

6– निविदादाताओं को बिना बताये टेण्डर प्रकिया को अस्वीकृत करने का अधिकार कय समिति का रहेगा।

7– समस्त विवादित मामलों का वाद क्षेत्र बरेली रहेगा।

8– निविदा के दो भाग होंगे। प्रथम तकनीकी भाव पत्र एवं दूसरा वित्तीय भावपत्र। तकनीकी भाव पत्र स्वीकृत होने पर ही वित्तीय भावपत्र खोला जायेगा। शेष निविदा जो तकनीकी रूप से उपयुक्त नही होगी, उनके वित्तीय भावपत्र नही खोले जायेंगे तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

9– तकनीकी भाव पत्र तथा वित्तीय भाव पत्र **अलग–अलग लिफाफों** में मुहरबन्द कर लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दोनो लिफाफे एक बडे लिफाफे में मुहरबन्द करके लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना का उल्लेख किया जायेगा।

10– निविदादाता की कोई भी शर्ते स्वीकार नही होगी।

11– निविदा प्रपत्र पर किसी प्रकार कटिंग/सफेदा मान्य नही होगा। यदि कटिंग को पूर्ण हस्ताक्षर तथा मोहर सहित निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तभी मान्य होगा।

12– आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान की जाने वाली धनराशि से ही आय कर, व्यापार कर आदि शासकीय देयों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

13– निविदा खोले जाने के समय निविदादाता को स्वयं उपस्थित रहना होगा अन्यथा उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि को अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित अधिकार पत्र देकर जिसमें प्रतिनिधि का प्रमाणित फोटो हो, वैध आई0डी0 प्रूफ सहित भेजना होगा। अधिकार–पत्र पर निविदादाता के हस्ताक्षर निविदा–प्रपत्र के समान होने चाहिए।

14– जलौनी लकडी का मूल्य 600/– रू0 प्रति कुन्तल से अधिक नही होगा।

15– दिनांक 28.02.2017 तक उक्त उद्देश्योंहेतु प्राप्त बजट का प्रयोग इसी (स्वीकृत) निविदा के आधार पर होगा।

0———————0

24.12.16
ADM(F/R)